

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 261 ]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 25 जून 2016—आषाढ़ 4, शक 1938

#### परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जून 2016

#### सूचना

क्र. एफ 22-21-2015-आठ.—मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 96 तथा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके कि उससे प्रभावित होने की सम्भावना है, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन का अवसान होने पर उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जोकि उक्त प्रारूप के संबंध में किसी भी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

#### संशोधन

उक्त नियमों में, विद्यमान नियम 145 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“145 फीस—इस अध्याय के उपबंधों के अधीन फीस नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रभारित की जाएगी :—

#### सारणी

अनुक्रमांक	प्रयोजन	रकम
1.	मंजिली गाड़ी/आरक्षित मंजिली गाड़ी के लिए अनुज्ञा पत्र दिए जाने या उसके नवीनीकरण हेतु आवेदन के संबंध में।	10000.00
2.	मंजिली गाड़ी/आरक्षित मंजिली गाड़ी के लिए अनुज्ञा पत्र के प्रतिहस्ताक्षर के नवीनीकरण हेतु आवेदन के संबंध में।	3000.00
3.	ठेका गाड़ी के लिए अनुज्ञा पत्र दिए जाने या उसके नवीनीकरण हेतु किसी आवेदन के संबंध में।	3000.00
4.	ठेका गाड़ी के लिए अनुज्ञा पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर के	3000.00

5.	नवीनीकरण हेतु आवेदन के संबंध में। प्राइवेट सेवा यान के लिए अनुज्ञा पत्र दिए जाने या उसके नवीनीकरण हेतु आवेदन के संबंध में।	3000.00
6.	मोटर कैब के लिए अनुज्ञा पत्र दिए जाने या उसके नवीनीकरण हेतु आवेदन के संबंध में।	2000.00
7.	मोटर कैब के लिए अनुज्ञा पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर के नवीनीकरण हेतु आवेदन के संबंध में।	2000.00
8.	माल यान के लिए अनुज्ञा पत्र दिए जाने या उसके नवीनीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	3000.00
9.	माल यान के लिए अनुज्ञा पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर के नवीनीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	3000.00
10.	माल यान के लिए नेशनल परमिट (राष्ट्रीय अनुज्ञा पत्र) दिए जाने या उसके नवीनीकरण हेतु आवेदन के संबंध में।	3000.00
11.	पर्यटक (ओमनी बस) के लिए अनुज्ञा पत्र दिए जाने या उसके नवीनीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	4000.00
12.	अखिल भारतीय पर्यटक टैक्सी कैब के लिए अनुज्ञा पत्र दिए जाने या उसके नवीनीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	3000.00
13.	मोटर कैब से भिन्न परिवहन यान के लिए अस्थायी अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन के संबंध में:- (क) धारा 87 की उप धारा (1)(क) के अधीन यात्री यान के लिए (ख) धारा 87 की उप धारा (1)(ख) के अधीन यात्री यान के लिए (ग) धारा 87 की उप धारा (1)(ग) के अधीन यात्री यान के लिए	600.00 1500.00 1500.00
14.	मोटर कैब के लिए अस्थायी अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन के संबंध में	400.00
15.	अधिनियम की धारा 88(8) के अधीन विशेष अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन के संबंध में:- (क) सात दिवस तक (ख) सात दिवस से अधिक एवं 15 दिवस तक (ग) 15 दिवस से अधिक	1000.00 2000.00 3000.00
16.	मंजिली गाड़ी/टेका गाड़ी के लिए अनुज्ञा पत्र में क्षेत्र या मार्ग (रूट्स) के विस्तारण या उनमें फेरफार करने या उस अनुज्ञा पत्र के प्रति हस्ताक्षर हेतु आवेदन पत्र के संबंध में।	3000.00
17.	मंजिली गाड़ी/आरक्षित मंजिली गाड़ी के अनुज्ञा पत्र की टंकण त्रुटि में सुधार हेतु आवेदन के संबंध में	3000.00
18.	अस्थायी अनुज्ञा पत्र के प्रति हस्ताक्षर हेतु आवेदन के संबंध में:- (क) मोटर कैब के लिए	1000.00

	(ख) किसी अन्य परिवहन यान के संबंध में	2000.00
19.	चार मास से अनधिक की कालावधि के लिए किसी यान के अस्थायी प्रतिस्थापन की मंजूरी दिए जाने हेतु आवेदन के संबंध में	1500.00
20.	मंजिली गाड़ी या ठेका गाड़ी के लिए अनुज्ञा पत्र वाले यान के प्रतिस्थापन की मंजूरी दिए जाने हेतु आवेदन के संबंध में	1500.00
21.	मोटरयान अधिनियम की धारा 82 के अधीन मोटर कैब से भिन्न प्रत्येक अनुज्ञा पत्र के हस्तांतरण हेतु आवेदन के संबंध में	5000.00
22.	मोटरयान अधिनियम की धारा 82 के अधीन मोटर कैब के प्रत्येक अनुज्ञा पत्र के हस्तांतरण हेतु आवेदन के संबंध में।	1500.00
23.	अनुज्ञा पत्र की द्वितीय प्रति जारी करने हेतु आवेदन के संबंध में।	500.00
24.	किसी अस्थायी अनुज्ञा पत्र की द्वितीय प्रति जारी करने हेतु आवेदन के संबंध में।	1000.00
25.	शिकायत पुस्तक अभिप्राप्त करने हेतु आवेदन के संबंध में।	200.00
26.	लोक सेवा यानों द्वारा यात्रा के लिए टिकटों की ब्रिकी हेतु ट्रेवल अभिकर्ता की अनुज्ञाप्ति जारी किए जाने/नवीनीकरण हेतु आवेदन के संबंध में।	10000.00
27.	ट्रेवल अभिकर्ता अनुज्ञाप्ति की द्वितीय प्रति जारी किए जाने हेतु आवेदन के संबंध में।	4000.00
28.	अपील या पुनरीक्षण हेतु आवेदन के संबंध में— (क) निम्नलिखित के आदेश के विरुद्ध अपील— (एक) राज्य परिवहन प्राधिकारी (दो) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी (ख) निम्नलिखित के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण के आवेदन हेतु— (एक) राज्य परिवहन प्राधिकारी (दो) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी	1000.00       1000.00
29.	परिवहन प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी के अभिलेखों का निरीक्षण करने हेतु आवेदन के संबंध में	100.00
30.	परिवहन प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी के समक्ष किए जाने वाले मुख्तारनामा के संबंध में।	100.00
31.	स्थगन हेतु आवेदन के संबंध में, यदि इस बाबत अपील के ज्ञापन/पुनरीक्षण के आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया है	500.00
32.	अपील प्राधिकारी, राज्य परिवहन प्राधिकारी और प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी के अभिलेखों की प्रतियों के प्रदाय किए जाने के संबंध में :- क. अपील प्राधिकारी, राज्य परिवहन प्राधिकारी और प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी के निर्णय या आदेश की	200.00

	<p>प्रतिलिपि प्रदाय करने के लिए -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. सामान्य</li> <li>2. अत्यावश्यक (अर्जेन्ट)</li> </ol> <p>ख. अपील अधिकरण, राज्य परिवहन प्राधिकारी या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी के अभिलेख की कोई अन्य प्रतिलिपि प्रदान करने के लिए :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. सामान्य</li> <li>2. अत्यावश्यक (अर्जेन्ट)</li> </ol>	<p>प्रथम पृष्ठ के लिए 60/-रूपये और प्रत्येक पश्चात्वर्ती पृष्ठ के लिए 30/-रूपये .</p> <p>ऊपर खण्ड (1) में यथा- विनिर्दिष्ट रकम की दुगुनी</p> <p>प्रथम पृष्ठ के लिए 60/- रूपये और प्रत्येक पश्चात्वर्ती पृष्ठ के लिए 30/-रूपये .</p> <p>ऊपर खण्ड (1) के उप खण्ड (ख) में यथा- विनिर्दिष्ट रकम की दुगुनी</p>
33.	<p>अपील अधिकरण, राज्य परिवहन प्राधिकारी, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी या इन प्राधिकारियों के सचिव को संबोधित किसी अन्य विविध आवेदन के संबंध में</p> <p>टीप-1. इस नियम के खण्ड 28,29.30.31 तथा 33 में यथा विनिर्दिष्ट आवेदन के संबंध में फीस उसी मूल्य के न्यायिक स्टाम्प चस्पा कर संदत्त की जा सकेगी।</p> <p>2. इस नियम के खण्ड 8 तथा 13 में यथा विनिर्दिष्ट अनुज्ञा पत्र मंजूर/नवीनीकरण करने हेतु या अस्थायी अनुज्ञा पत्र मंजूर करने हेतु आवेदन के संबंध में कोई फीस देय नहीं होगी यदि आवेदन वास्तविक कृषक द्वारा उसके</p>	20.00

	<p>स्वामित्व के ट्रैक्टर अनुयान के लिए प्रस्तुत किया गया हो।</p> <p><b>स्पष्टीकरण</b>— अभिव्यक्ति वास्तविक कृषक का वही अर्थ होगा जो इसके लिये भू-राजस्व संहिता, 1959(क्रमांक 20 सन् 1959) में दिया गया है।</p>	
34.	<p>मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियम 131 के अधीन अभिकर्ता की अनुज्ञप्ति की मंजूरी अथवा नवीनीकरण या अनुपूरक अनुज्ञप्ति या उसकी द्वितीय प्रति प्राप्त करने हेतु फीस निम्नानुसार होगी :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अनुज्ञप्ति दिए जाने के लिए—</li> <li>2. प्रत्येक शाखा कार्यालय के लिए अनुपूरक अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए—</li> <li>3. अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए—</li> <li>4. प्रत्येक शाखा कार्यालय के लिए अनुपूरक अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए—</li> <li>5. द्वितीय प्रति जारी करने के लिए—             <ol style="list-style-type: none"> <li>क. प्रमुख अनुज्ञप्ति के लिए</li> <li>ख. शाखा कार्यालय के लिए अनुज्ञप्ति के लिए</li> </ol> </li> <li>6. अपील फाईल करने के लिए—</li> <li>7. क. अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदाय करने के लिए—             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. सामान्य</li> <li>2. अत्यावश्यक (अर्जेन्ट)</li> </ol> </li> <li>ख. अन्य किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति के लिए—             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. सामान्य</li> <li>2. अत्यावश्यक (अर्जेन्ट)</li> </ol> </li> </ol>	<p>5000.00</p> <p>2000.00</p> <p>2000.00</p> <p>600.00</p> <p>500.00</p> <p>400.00</p> <p>1000.00</p> <p>200.00</p> <p>400.00</p> <p>प्रथम पृष्ठ के लिए 50 /—रुपये तथा पश्चात्पूर्वी प्रत्येक पृष्ठ के लिए 30 /—रुपये</p> <p>रूपर उप खण्ड (i) में यथा विनिर्दिष्ट रकम की दुगुनी</p>
35.	<p>प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने का शुल्क जो इस सारणी में निर्धारित नहीं है</p>	500.00

## NOTICE

No. F 22-21-2015-VIII.—

The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Motor Vehicles Rules, 1994 which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 96 and section 211 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), is hereby published as required by sub section (1) of section 212 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration on the expiry of 30 days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received by The Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh Transport Department, Mantralaya, Vallabh, Bhawan, Bhopal from any person with respect to the said draft before the expiry of the period specified above shall be considered by the State Government.

## AMENDMENTS

In the said rules for the existing rule 145, the following rule shall be substituted, namely:-

**“145.Fee.**-The fee which shall be charged under the provisions of this chapter shall be as specified in the table below:-

Table

S. No.	Purpose	Amount
1.	In respect of an application for grant or renewal of stage carriage/reserve stage carriage permit	10000.00
2.	In respect of an application for renewal of counter-signature of stage carriage/reserve stage carriage permit	3000.00
3.	In respect of an application for grant or renewal of contract carriage permit	3000.00

4.	In respect of an application for renewal of counter signature of contract carriage permit	3000.00
5.	In respect of an application for grant or renewal of private service Vehicle permit	3000.00
6.	In respect of an application for grant or renewal of Motor cab permit	2000.00
7.	In respect of an application for renewal of counter signature of Motor cab permit	2000.00
8.	In respect of an application for grant or renewal of goods carriage permit	3000.00
9.	In respect of an application for renewal of counter signature of goods carriage permit	3000.00
10.	In respect of an application for grant or renewal of a National Permit for Goods Carriage	3000.00
11.	In respect of an application for grant or renewal of a tourist Vehicle permit(OMNI Bus)	4000.00
12.	In respect of an application for grant or renewal of All India Tourist Taxi Cab permit	3000.00
13.	In respect of an application for Temporary permits of Transport other than Motor Cab-  (a) Under sub section(1)(A)of section 87 for Passengers Vehicle  (b) Under sub section(1)(B)of section 87 for Passengers Vehicle  (c) Under sub section(1)(c)of section 87 for Passenger Vehicle	600.00  1500.00  1500.00
14.	In respect of an application for temporary permit of Motor Cab	400.00
15.	In respect of an application for a special permit under section 88(8)of the Act-  (a) For up to seven days (b) For exceeding seven days up to 15 days (c) For exceeding 15 days	1000.00 2000.00 3000.00

16.	In respect of an application for extension of variation in area or routes on a permit or counter signature of stage carriage/contract carriage permit	3000.00
17.	In respect of an application regarding corrections of typing mistake of stage carriage/reserve stage carriage permit	3000.00
18.	In respect of an application for counter signature of a temporary permit-  (a) For Motor cab (b) Any other Transport Vehicle	1000.00 2000.00
19.	In respect of an application for grant of temporary replacement of Vehicle for the period not exceeding four months	1500.00
20.	In respect of an application for grant of replacement of Vehicle of stage carriage or Contract carriage permit	1500.00
21.	In respect of an application for transfer of each permit other than Motor Cab under section 82 of the Motor Vehicle Act	5000.00
22.	In respect of an application for transfer of each permit of Motor Cab under section 82 of the Motor Vehicle Act	1500.00
23.	In respect of an application for issue of duplicate copy of permit	500.00
24.	In respect of an application for issue of duplicate copy of temporary permit	1000.00
25.	In respect of an application for obtaining complaint book	200.00
26.	In respect of an application for issue/renewal of Travel Agent's Licence for sale of tickets for travels by Public Service Vehicle	10000.00
27.	In respect of an application for issue of duplicate copy of Travel Agent's Licence	4000.00



28.	<p>In respect of an application for appeal or revision-</p> <p>(a) appeal against the order of-</p> <p>(i) State Transport Authority (ii) Regional Transport Authority</p> <p>(b) In respect of an application for revision against the order of</p> <p>(i) State Transport Authority (ii) Resional Transport Authority</p>	<p>1000.00</p> <p>1000.00</p>
29.	<p>In respect of an application to inspect the record of Transport Authority or Appellate Authority</p>	<p>100.00</p>
30.	<p>In respect of power of attorney when presented to the Transport Authority or Appellate Authority</p>	<p>100.00</p>
31.	<p>In respect of an application for stay if filed with the memorandum of appeal/application of revision</p>	<p>500.00</p>
32.	<p>In respect of supply of copies of documents of appellate Authority, State Transport Authority and Regional Transport Authority-</p> <p>A. For supply of copy of judgement or order of the Appellate Tribunal, State Transport Authority or Regional Transport Authority—</p> <p>1. Ordinary</p> <p>2. Urgent</p> <p>B. Any other copy of documents of the record of Appellate Tribunal, State Transport Authority or Regional Transport Authority—</p> <p>1. Ordinary</p>	<p>200.00</p> <p>Rs.60/-for the first page and Rs.30/-for each subsequent page</p> <p>Twice the amount specified as in clause(i)above</p> <p>Rs.60/-for the first page</p>

	2. Urgent	and Rs.30/- for each subsequent page  Twice the amount specified in sub clause(i)of clause(b) above
33.	<p>In respect of any other miscellaneous application when addressed to Appellate Tribunal, State Transport Authority, Regional Transport Authority or Secretary of these Authorities</p> <p><b>Note:-</b> 1. Fee in respect of application as specified in clause 28,29,30,31 and 33 may be paid by way of affixing judicial stamps of the same value as specified.</p> <p>2. No fee shall be payable in respect of an application for grant/renewal of permit or grant of temporary permit as specified in clauses 8 and 13 of the rule, if the application is presented by the bonafide agriculturist for tractor, trolley own by him.</p> <p><b>Explanation-</b>The expression bonafide agriculturist shall have the meaning assigned to it in the Madhya Pradesh Land Revenue Code,1959(No. 20 of 1959)</p>	20.00
34.	<p>Under rule 131 of the Madhya Pradesh Motor Vehicles Rules,1994 the fees for the grant of renewal of Agent's licence or supplementary licence or obtained a duplicate copy thereof shall be as follows:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. For grant of licence</li> <li>2. For grant of supplementary licence of each branch Office</li> <li>3. For renewal of licence</li> <li>4. For renewal of supplementary licence for each branch Office</li> <li>5. For issue of duplicate copy of- <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) Principal Licence</li> <li>(b) For branch office Licence</li> </ol> </li> <li>6. For filing of appeal</li> <li>7. (a) For supply of certified copy of the order of the</li> </ol>	<p>5000.00</p> <p>2000.00</p> <p>2000.00</p> <p>600.00</p> <p>500.00</p> <p>400.00</p> <p>1000.00</p>

	<p>licensing authority-</p> <p>1. Ordinary.</p> <p>2. Urgent</p> <p>(b) For certified copy of any other documents:-</p> <p>1. Ordinary</p> <p>2. Urgent</p>	<p>200.00</p> <p>400.00</p> <p>Rs.50/-for the first page and Rs.30/- for each subsequent page.</p> <p>Twice the amount as specified in sub clause(I) above</p>
35.	Fee for submit application to the Regional Transport Authority which is not fixed in this table	500.00."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार भार्गव, अपर सचिव.